

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 1983

क्रमांक सी/6-3/83/3/1.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य के संलग्न सूची के अनुसार विभागाध्यक्षों को उनके अधीन द्वितीय श्रेणी के राज्य सिविल पद पर कार्यरत किसी अधिकारी पर उक्त नियमों के नियम 10 के पद (एक), (दो), (तीन) तथा (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु एतद्द्वारा सशक्त करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(वी. जी. निगम)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी/6-3/83/3/1

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 1983

प्रतिलिपि:—

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र. (सूची संलग्न)
की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 की अनुसूचियों में तदनुसार संशोधन करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें.
3. सचिव/विशेष सचिव/ उपसचिव, सा.प्र.विभाग.

हस्ता./-

(वी. जी. निगम)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.

आदेश पृ. क्र. सी/6-3/83/1(3)

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 से संबंधित

विभागाध्यक्षों की सूची

1. संचालक, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक
3. पुलिस महानिदेशक
4. कमान्डेन्ट जनरल, होम गार्ड्स
5. संचालक, मेडिको लीगल इन्सटीट्यूट एवं मेडिको लीगल एडवाइजर
6. कारागार महानिरीक्षक
7. संचालक, कोष एवं लेखा
8. संचालक, अल्प बचत तथा राज्य लाट्री
9. विक्रय कर आयुक्त
10. आबकारी आयुक्त
11. महानिरीक्षक, पंजीयन तथा मुद्रांक
12. नियंत्रक, नाप तौल
13. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री
14. आयुक्त, भू-अभिलेख, भू-परिमाण और बन्दोबस्त

15. परिवहन आयुक्त
16. संचालक, खेल तथा युवक कल्याण
17. संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना
18. प्रमुख वन संरक्षक
19. संचालक, उद्योग
20. संचालक, हाथ करधा
21. पंजीयक, फर्म्स तथा संस्थाएं
22. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म
23. विद्युत सलाहकार तथा प्रमुख विद्युत निरीक्षक
24. संचालक, कृषि
25. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
26. संचालक, मण्डी
27. श्रम आयुक्त
28. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
29. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
30. संचालक, चिकित्सा सेवा
31. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
32. संचालक, चिकित्सा शिक्षा
33. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
34. संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी
35. संचालक, नगरीय प्रशासन
36. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
37. संचालक, लोक शिक्षण
38. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
39. संचालक, पंचायत तथा समाज कल्याण
40. विकास आयुक्त
41. संचालक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी
42. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन
43. आदिम जाति विकास आयुक्त
44. संचालक, आदिम जाति कल्याण
45. संचालक, हरिजन विकास
46. संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण
47. संचालक, आदिम जाति क्षेत्र विकास आयोजना
48. संचालक, जनजाति तथा अनुसंधान तथा विकास संस्था
49. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई
50. पुनर्वास आयुक्त
51. संचालक, खाद्य एवं सिविल पूर्ति
52. संचालक, राजकीय अभिलेखागार
53. संचालक, पुरालेख तथा अभिलेख
54. संचालक, भाषा
55. संचालक, गजेटियर
56. संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन
57. मुख्य वास्तुविद्
58. संचालक, पर्यटन
59. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
60. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं
61. संचालक, मत्स्य उद्योग
62. दुग्धायुक्त
63. संचालक, महाविद्यालय शिक्षा
64. संचालक, तकनीकी शिक्षा.